मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–123/2015/18–5 भोपाल दिनांक / /2017

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला सिवनी
2. उप संचालक
   नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
   छिन्दवाड़ा ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत सिवनी
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद सिवनी।

विषय :–सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ0क्र0–एफ 3–129/2015/18–5 भोपाल दिनांक 26/5/2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त–सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।
2. आयुक्त गृह निर्माण एवं अंधोसरचना विकास मण्डल भोपाल की ओर सुचनार्थ अग्रेषित है ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3 / 129 / 2015 / 18–5 भोपाल दिनांक 26-5-/2017

प्रति

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
भोपाल

विषयः–सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य शासन ने सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है अतः संलग्न सूचना नगर के प्रचलित ऐसे एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा सिवनी नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तद्नुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3–129 / 2015 / 18–5 भोपाल दिनांक / /2017

प्रतिलिपि :–

आयुक्त सह सचांलक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूचना को बेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
क्र. 670
27/5/17
शाखा
आयुक्त

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 26/5/2017

No.F-3-129/2015/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Seoni Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	**Village**	**Khasara No.**	**Area (In Hec.)**	**Land use specified in the development plan**	**Modified land use after modifications**
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Dorli Chattarpur	104/1	0.28 hec.	Agriculture	Residential **Conditions** :- 1. The land has been allotted for Atal Ashraya Scheme, so the use other than the purpose for which it has been allotted shall be prohibited.
		Total	**0.28 Hec.**		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, District office Chindwara as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing

Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 26-5-2017

क्रमांक–एफ–3–129/2015/18–5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम डोरली छतंरपुर	104/1	0.28 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय शर्तें:– भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है । अतः भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है , उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

		योग–	0.28 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

26/5/2017